राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.5(3)नविवि / 3 / 99 जयपुर, दिनांकः 16 JUN 2011

1. सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
2. सचिव, नगर विकास न्यास ....(समस्त)।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका (पी.आई.एल.) 6307 / 2011 जागो जनता सोसायटी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 27.5.2011 की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका (पी.आई.एल.) 6307 / 2011 जागो जनता सोसायटी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 27.5.2011 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–बी(3) की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। उक्त स्थगन आदेश की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशानुसार उक्त धारा 90–बी(3) के अन्तर्गत कार्यवाही आगामी आदेश तक सम्पादित नहीं की जावे। किन्तु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–बी(1) से सम्बन्धित दिनांक 17.6.99 के पूर्व के प्रकरणों का निस्तारण यथावत जारी रखा जावे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

— sd/-

(एन.एल.मीना)
उप शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, मा0 मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. उप शासन सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय), नगरीय विकास विभाग।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को स्थगन आदेश दिनांक 27.05.2011 क प्रति प्रेषित कर लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना अग्रिम आदेशों तक सुनिश्चित किया जाने हेतु समस्त स्थानीय निकायों के अपने स्तर पर निर्देशित करावें।
6. संयुक्त विधि परामर्शी / उप विधि परामर्शी / उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग
7. सहायक शासन सचिव (प्रथम / द्वितीय), नगरीय विकास विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

16/6/2011